

#2019/00 348

**FORM NO-III**

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

85/2019

1150

अज अदालत- अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर  
दुर्गारानी राठौड़ बनाम लोक सूचना अधि० एवं प्रभारी अधि० राजस्व शाखा  
किस्म मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005 प्रकरण संख्या 85 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में
ने 11/2019	<p>जिला कलक्टर, अजमेर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा/न्याय शाखा, कलेक्ट्रेट अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा से प्राप्त टिप्पणी के संलग्न प्राप्त यूओ नोट दिनांक 19.6.2019 की प्रति के मुताबिक वांछित सूचना का संबंध राजस्व शाखा से होना जाहिर है। प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा से प्राप्त टिप्पणी पत्र दिनांक 11.10.2019 से अपीलान्ट का आवेदन पत्र शाखा में प्राप्त नहीं होना अवगत कराया है। सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/न्याय शाखा को निर्दिष्ट किया जाता है कि परस्पर समन्वय स्थापित कर नियमानुसार उपलब्ध, देय सूचना/विनिश्चय से प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही शाखा/कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्रादि/आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करावें, ताकि अपीलोत्तर एवं सूचना प्रदान करने में विलम्ब ना हों। अपील, अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(विश्व मोहन शर्मा) जिला कलक्टर, अजमेर</p>	